बिहार विधान-सभा सचिवालय

की

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति

2004-05

का

24 वां प्रतिवेदन

(कल्याण विभाग से सम्बंधित)

राजकीय उत्तर रक्षा गृह, गाय घाट, पटना-7 से सम्बन्धित बिहार विधान-सभा की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति का 24वां प्रतिवेदन

बिहार विधान-सभा सचिवालय
(कल्याण समिति शाखा)
पटना 2004

(सदन में उपस्थापित करने की तिथि 08/08/2006 ~~2004~~ ई०)

विषय-सूची

	पृष्ठ
1. प्राक्कथन	क
2. मुख्य समिति के वर्तमान सदस्यों की सूची	ग
3. प्रतिवेदन	1
4. सिफारिशों का सारांश	1
5. परिशिष्ट	2-28

प्राक्कथन

बिहार विधान-सभा की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति (2004-2005) की सभापति की है सियत से मैं राजकीय उत्तर रक्षा गृह, गायघाट, पटना-7 के सम्बन्ध में कल्याण विभाग पर समिति का प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

राजकीय उत्तर रक्षा गृह एवं बाल रक्षा गृह, गायघाट, पटना-7 के संबंध में समिति ने गहन अध्ययन एवं स्थल निरीक्षण तथा निदेशक, कल्याण पदाधिकारियों के साथ बैठक में विचार-विमर्श एवं उपस्थापित प्रतिवेदन के आधार पर किया है। प्रस्तुत प्रतिवेदन में राजकीय उत्तर रक्षा गृह एवं बाल गृह में रह रहे कैदियों की आर्थिक समस्याओं उनके रहन-सहन से संबंधित जीवन-स्तर तथा सरकार द्वारा कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर अपना मंतव्य देकर उनकी समस्याओं का समाधान किया गया है। प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक .... को मुख्य समिति की बैठक में मौलिक रूप से स्वीकार किया गया है।

इस प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करते हुए समिति सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती है, जिनकी प्रेरणा से इस प्रतिवेदन को पस्थापित किया जा सका।

समिति के प्रतिवेदन को तैयार करने में समिति के सदस्यों ने जिस अभिरुची और तत्परता का परिचय दिया है, उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं।

प्रथम खण्ड में प्राक्कलन एवं समिति के सदस्यों की सूची, द्वितीय खण्ड में प्रतिवेदन तथा तृतीय खण्ड में प्रासंगिक परिशिष्ट है।

प्रतिवेदन तैयार करने में सभा सचिवालय के जिन पदाधिकारियों ने सहयोग दिया है उसके लिए समिति उन्हें हार्दिक धन्यबाद देती है, साथ ही समिति विभागीय पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने अपेक्षित सूचना देकर प्रतिवेदन के लिए सामग्रियां प्रस्तुत की है।

जितन राम मांझी,
सभापति,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जन-जाति कल्याण समिति।

पटना :
दिनांक 8 नवम्बर, 2004 ई०।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति के सदस्यों की सूची

वर्ष 2004-2005

1. श्री जीतन राम मांझी, स० वि० स०—सभापति

सदस्यगण

2. श्री श्यामदेव पासवान, स० वि० स०
3. श्री राजाराम पासवान, स० वि० स०
4. श्री देव नारायन रजक, स० वि० स०
5. श्री सुरेश पासी, स० वि० स०
6. श्री सत्यदेव राम, स० वि० स०
7. श्री ओम प्रकाश पासवान, स० वि० स०
8. श्रीमती समता देवी, स० वि० स०
9. श्री सुरेश पासवान, स० वि० स०

बिहार विधान-सभा सचिवालय

1. श्री यू० पी० पाल, सचिव
2. नवल किशोर सिंह, प्रभारी संयुक्त सचिव
3. श्री राम सेवक राय, उप-सचिव
4. श्री राजकिशोर रावत, अवर-सचिव
5. श्री अजीत कुमार ओझा, प्रशाखा पदाधिकारी
6. श्री बैजनारायण यादव, प्रशाखा पदाधिकारी

प्रतिवेदन

बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 292(ग) के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति कार्यरत है। समिति विशेष रूप से सम्परीक्षण करती है। इस समिति का कार्य क्षेत्र काफी व्यापक है।

समिति दिनांक 29 अगस्त, 2003 को विभागीय बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारियों, निदेशक समाज कल्याण, उप-निदेशक, कल्याण पटना प्रमंडल जिला कल्याण पदाधिकारी एवं अधीक्षिका, राजकीय उत्तर रक्षा गृह, गायघाट, पटना के साथ हुई। तदुपरान्त उत्तर रक्षा गृह एवं बाल रक्षा गृह गायघाट, पटना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उत्तर रक्षा गृह का निरीक्षण किया गया वहां की अधीक्षिका ने बताया कि रक्षा-गृह का स्वीकृत बल 140 है सब कोर्ट के आदेश से ही आते हैं इनमें 139 अनाथ हैं, 13 उपेक्षित है।

इनलोगों की खाने की व्यवस्था के लिए समिति बनी हुई है, जिसका नाम क्रय समिति है। समिति सप्ताह में एक बार मोनेटरिंग करती है। सिस्टर कोरेल की अध्यक्षता में ही मोनेटरिंग होती हैं। निदेशक द्वारा प्रत्येक शनिवार को कमिटी की बैठक आयोजित होती है और वे निरीक्षण करती हैं। समिति द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि वहां रह रहे संवासिनों को नियमानुसार खाने-पीने का अभाव है एवं अच्छे तरीके से भोजन नहीं दिया जाता है। जहां भोजन तैयार किया जाता है वहां काफी गंदगी फैली हुई है। भोजनालय की सफाई ठीक ढंग से नहीं की जाती है।

रिमांड होम में रह रहे संवासिनों की चिकित्सा की व्यवस्था के लिए वहां की अधीक्षिका ने बताया कि दो नर्स वहां प्रतिनियुक्त हैं। इन्हीं से दवा वर्गरह के द्वारा इलाज होती है, ज्यादा बीमार हो जाने के बाद रोगी को एन० एम० सी० एच० ले जाते हैं वहीं चिकित्सा करायी जाती है। अधीक्षिका समिति से आग्रह है कि वहां चिकित्सा के लिए जो भी नर्स प्रतिनियुक्त की जाय अर्थात् रोगियों को सही इलाज करा सकें। अधीक्षिका ने यह भी बतायी की जो महिला चिकित्सक डॉ० श्रीमती सरोज नाम की है वह विरले कभी ही आती है जिसके वजह से रिमांड होम में रह रही संवासिनों को चिकित्सा काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

रिमांड होम में निवासित संवासिन अपने आप को काफी असुरक्षित महसूस करती है क्योंकि रिमांड होम के दक्षिण में पथ निर्माण विभाग का कार्यालय है। रिमांड होम के दीवाल के बगल में खाली अलकतरा का ड्रम रखा हुआ है, जिसके कारण वहां से असामाजिक तत्व ड्राम के सहारे रिमांड होम के अन्दर प्रवेश कर जाते हैं, फलस्वरुप कतिपय लड़कियां भागने में सफल हो जाती हैं। कुछ लड़किया असमाजिक तत्वों से काफी भय महसूस करती है वहां पर एक भी महिला सुरक्षा गार्ड नहीं है। मात्र चार आरक्षी हैं जो रात्रि प्रहरी के रूप में भी काम नहीं करते हैं। रिमांड होम में पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था रहनी चाहिये।

रिमांड होम में रह रहे संवासिनों के लिये प्रोग्राम एवं खेलने की व्यवस्था है। पूजा के अवसर पर धार्मिक सी० डी० लाकर-दिखाया जाता है। प्रत्येक वर्ष प्रोग्राम हाई कोर्ट की देख-रेख में ही होता है।

उक्त रक्षा गृह में रह रहे संवासिनों के लिए व्यवसायिक शिक्षा की प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि वे लोग भविष्य में अपना जीविकोपार्जन कर सकें।

समिति की अनुशंसा एवं सिफारिश

1. समिति उक्त उत्तर रक्षा गृह स्थल अध्ययन के क्रम में पाया कि सफाई का काफी अभाव है जिसका बुरा प्रभाव वहां के संवासिनों पर पड़ रहा है। वहां सफाई की पूरी व्यवस्था रहे। संभव हो तो कल्याण विभाग नगर निगम के प्रशासक के सम्पर्क कर सफाई कर्मियों को प्रतिनियुक्त सुनिश्चित करें-

2. उत्तर रक्षा गृह में रह रही महिलाओं में से प्रसवोत्तर महिलाओं को निर्धारित पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता है, जिसका कुप्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। इस लोक कल्याणकारी राज्य में नियम की अवहेलना करने वाले पदाधिकारियों पर सख्त-से-सख्त कार्रवाई की जाय।

3. नवजात शिशु के लिए जो पौष्टिक पेय निर्धारित है उसे भी विभाग आपूर्ति करना सुनिश्चित करे।

4. रक्षा गृह में बिजली-पंखा की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

5. विभाग संवासिनों की स्वास्थ्य की जांच पन्द्रह दिनों में एक बार अवश्य करावें।

6. संवासिनों के पलायन को रोकने हेतु सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करे।

7. रक्षा गृह के लिए प्रतिनियुक्त चिकित्सक की उपस्थिति की जवाबदेही जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना को दी जाये।

8. रक्षा गृह में शुद्ध पेय जल हेतु विभाग द्वारा समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण वहां के संवासिनों को विभिन्न प्रकार के रोगों का शिकार होना पड़ रहा है। कल्याण विभाग संबंधित विभाग से वार्ता कर शुद्ध पेय जल आपूर्ति की व्यवस्था शीघ्र करे।

9. रक्षा गृह में रह रहे संवासिनों के लिए व्यावसायिक शिक्षा के प्रशिक्षण की व्यवस्था शीघ्र करे ताकि वे लोग भविष्य में अपने जीविकोपार्जन कर सकें।

परिशिष्ट-1

पत्र संख्या वि० स० (क०)-4।2002(खंड)-755।वि० स०।

बिहार विधान-सभा सचिवालय

प्रेषक

श्री रामसेवक राय,
उप-सचिव, बिहार विधान सभा पटना।

सेवा में

निदेशक, कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना।क्षेत्रीय उप-निदेशक, कल्याण, पटना प्रमंडल, पटना।

पटना, दिनांक 27 सितम्बर, 2003।

विषय—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि दिनांक 29 अगस्त 2003 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति की मुख्य समिति की बैठक में तथा स्थानीय निरीक्षण के दौरान विमर्श के पश्चात आपसे समिति द्वारा संलग्न प्रश्नावली के तथ्यात्मक जांचों प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, जो अभीतक अप्राप्त है।

अतः आपसे अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर वांछित प्रतिवेदन पन्द्रह (15) प्रतियों में समिति के विचारार्थ सभा सचिवालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,
रामसेवक राय,
उप-सचिव, बिहार विधान-सभा पटना।

पत्र सं०-संध-वि०स०क०-4। 2002-839, वि०स०,

बिहार विधान-सभा सचिवालय

प्रेषक
श्री राम सेवक राय
उप-सचिव, बिहार विधान-सभा, पटना ।

सेवा में

निदेशक, कल्याण, बिहार सरकार पटना ।
क्षेत्रीय उप-निदेशक कल्याण, पटना प्रमंडल, पटना ।
जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना ।

पटना, दिनांक 3 नवम्बर 2003

विषय—अनुसूचित जाति एवं जन-जाति कल्याण समिति की मुख्य समिति की बैठक ।

महोदय

निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति की बैठक दिनांक 6 नवम्बर 2003 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में बिहार विधान-सभा स्थित समिति कक्ष, पटना में होगी जिसमें समिति आप से दिनांक 29 अगस्त 2003 को स्थल अध्ययन के क्रम में जो त्रुटियां पाई गई है उस संबंध में अबतक क्या सुधार किया गया है ? इस संबंध में विचार-विमर्श करेगी ।

अतः आपसे अनुरोध है कि समिति की उक्त बैठक में वांछित प्रतिवेदन की 10 (दस) प्रतियों के साथ उपस्थित होने की कृपा करेंगे ।

विश्वासभाजन,
रामसेवक राय,
उप-सचिव, बिहार विधान-सभा, पटना ।

पत्र सं०-संध-वि०स०क०-4। 2002-793।वि०स०

बिहार विधान-सभा सचिवालय

प्रेषक
श्री रामसेवक राय
उप-सचिव, बिहार विधान-सभा, पटना ।

सेवा में
सचिव।निदेशक, कल्याण विभाग बिहार सरकार, पटना ।
क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना ।
जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना ।

पटना, दिनांक 15 अक्तूबर 2003

विषय—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति की मुख्य समिति की बैठक ।

महाशय

निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति की बैठक दिनांक 18 अक्तूबर 2003 को 12.00 बजे मध्याह्न में बिहार विधान सभा स्थित समिति कक्ष, पटना में होगी जिसमें समिति आपसे गायघाट स्थित उत्तर रक्षा गृह, बाल रक्षा गृह एवं आवासीय विद्यालय, गायघाट एवं स्थल अध्ययन के क्रम में जो त्रुटियां पाई गई है उस संबंध में अबतक क्या सुधार किया गया है। इस संबंध में विचार-विमर्श करेगी

अतः आपसे अनुरोध है कि समिति की उक्त निर्धारित तिथि की बैठक में प्रतिवेदन की 10 (दस) प्रतियों के साथ उपस्थित होने की कृपा करें ।

विश्वासभाजन,
राम सेवक राय,
उप-सचिव, बिहार विधान-सभा पटना।

पत्र सं०-4/2002-303 /वि०स०

बिहार विधान-सभा सचिवालय

प्रेषक

श्री राम सेवक राय,
उप-सचिव, बिहार विधान-सभा, पटना ।

सेवा में

निदेशक, कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना

जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना ।

पटना, दिनांक 16 मार्च 2004 ई० ।

विषय—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति की बैठक ।

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति की बैठक दिनांक 17 मार्च 2004 को 3.00 बजे अपराह्न में बिहार विधान-सभा स्थित समिति कक्ष, पटना में होगी जिसमें समिति आपके बाल रक्षा गृह एवं उत्तर रक्षा गृह, गायघाट, पटना के स्थल अध्ययन यात्रा के दौरान समिति द्वारा दिये गये निदेशों के संबंध में विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई की अद्यतन स्थिति पर विचार-विमर्श करेगी ।

अतः आपसे अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन की 15 (पन्द्रह) प्रतियों के साथ उक्त तिथि की बैठक में स्वयं उपस्थित होने की कृपा करें ।

विश्वासभाजन,
राम सेवक राय,
उप-सचिव, बिहार विधान-सभा ।

पत्र सं०-1/वि०स०स० (कल्याण सं०)26/03-क०

कल्याण विभाग

प्रेषक

श्री ए० के० श्रीवास्तव,
निदेशक, कल्याण ।

सेवा में

उप-निदेशक, कल्याण,
पटना प्रमंडल, पटना ।

जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना ।

पटना, दिनांक 15 नवम्बर, 2003 ई० ।

विषय—अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति एवं कल्याण समिति की मुख्य समिति की बैठक ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार विधान-सभा सचिवालय, पटना से प्राप्त पत्रांक-839, दिनांक 3 नवम्बर 2003 (छाया प्रति संलग्न) जो आपको भी संबोधित है के प्रसंग में कहना है कि अनु० जा० एवं अनु० ज० जा० कल्याण समिति द्वारा दिनांक 29 अगस्त 2003 को स्थल अध्ययन के क्रम में पायी गयी त्रुटियों में अद्यतन सुधार से संबंधित प्रतिवेदन निदेशालय को विशेष दूत के माध्यम से अविलम्ब उपलब्ध करायें ताकि दिनांक 6 नवम्बर 2003 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में समिति द्वारा आहूत बैठक में भाग लिया जा सके ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन,
ए० के० श्रीवास्तव,
निदेशक, कल्याण ।

ज्ञापांक 4503-क०

पटना, दिनांक-15 नवम्बर, 2003 ई० ।

प्रति०—उप-निदेशक, कल्याण (मु०)/विशेष पदाधिकारी, श्री राम औतार राम, समाज कल्याण को सूचनार्थ एवं निदेश देते हुए कि वे अपने निदेशक के बदले सारी सूचनाओं के साथ उक्त बैठक में भाग लें । मुझे उक्त तिथि (6 नवम्बर 2003) को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना है ।

ए० के० श्रीवास्तव,
निदेशक, कल्याण ।

ज्ञापांक 4505-क०

पटना, दिनांक 15 नवम्बर, 2003 ई० ।

प्रति०—उप-सचिव, बिहार विधान-सभा सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं यह अनुरोध करते हुए कि दिनांक 6 नवम्बर 2003 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक केस के सिलसिले में मुझे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना है, अतः बैठक में मेरे बदले प्राधिकृत पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे ।

ए० के० श्रीवास्तव,
निदेशक, कल्याण ।

परिशिष्ट 2

पत्रांक 625

प्रेषक

प्रधीक्षिका,
राजकीय उत्तर रक्षा गृह,
गायघाट, पटना-7

सेवा में

उप-निदेशक, कल्याण,
पटना प्रमंडल, पटना ।

पटना, दिनांक 5 नवम्बर 2003

विषय—बिहार विधान-सभा की अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति द्वारा संस्था के स्थल निरीक्षण के समय पाई गई त्रुटियों के निवारण संबंधी प्रतिवेदन भेजने के संबंध में ।

प्रसंग—आपका पत्रांक 213, दिनांक 4 नवम्बर 2003 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में अनुरोधपूर्वक कहना है कि इस संस्था से संबंधित त्रुटि एवं निवारण संबंधी प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है ।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
प्रधीक्षिका,
राजकीय उत्तर रक्षा गृह,
गायघाट, पटना 7

महिला उत्तर रक्षा गृह, गायघाट, पटना से संबंधित त्रुटि एवं निवारण प्रतिवेदनः-

---

(1) भवन :- इस गृह के भवन की मरम्मति हेतु भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राक्कलन तैयार किया गया है जिसे भवन निर्माण विभाग द्वारा ही ~~संस्था~~ समाज कल्याण विभाग बिहार, पटना को भेज दिया गया है।

(2) मेट्रनः- इस संस्था में मेट्रन का दो पद स्वीकृत है। स्वीकृत पद के विरुद्ध एक भी मेट्रन पदस्थापित नहीं हैं। मेट्रन के पदस्थापन हेतु इस संस्था के पत्रांक 117 दिनांक 1.8.2003 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण बिहार, पटना से अनुरोध किया गया है।

(3) चिकित्सा पदाधिकारीः- संस्था में आवासिनों के चिकित्सा कार्य हेतु महिला चिकित्सा पदाधिकारी 500-00 (पाँच सौ रूपये) प्रतिमाह की दर से अंशकालीन चिकित्सक के रूप में पद स्वीकृत है जिसके आलोक में पूर्व में गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल, पटनासिटी से एक महिला चिकित्सा पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई थी। माह अक्टूबर, 2002 से इस संस्था में चिकित्सा पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति नहीं हुई है। संस्था के पत्रांक 120 दिनांक 1.8.2003 द्वारा असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना से प्रतिनियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया है।

(4) महिला जिला पुलिसः- संस्था में दो महिला जिला पुलिस की प्रतिनियुक्ति हेतु संस्था के पत्रांक 108 दिनांक 25.8.2003 द्वारा वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना से अनुरोध किया गया था जिसके आलोक में वर्तमान में दो महिला जिला पुलिस प्रतिनियुक्त हैं।

(5) महिला गृह रक्षक :- संस्था में वर्तमान में दो महिला गृह रक्षक प्रतिनियुक्त हैं। चूंकि संस्था महिलाओं की है ऐसी परिस्थिति में संस्था के पत्रांक 107 दिनांक 28.7.2003 द्वारा जिला समादेष्टा, पटना से दो और महिला गृह रक्षक की प्रतिनियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया है जिसकी समानुसार आवासिनों को न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं इलाज हेतु संबंधित अस्पताल में भेजा जा सकें।

(6) शिक्षिका :- संस्था के आवासिनों की पढ़ाई एवं अन्य शिक्षा कार्य हेतु तीन शिक्षिका का पद स्वीकृत है। स्वीकृत पद के विरुद्ध संस्था में एक ही शिक्षिका पदस्थापित हैं।

(6) आवासिनों की संख्या :- आज दिनांक 04.11.2003 को संस्था में आवासिनों की संख्या 197 है।

(7) आवंटन :- सरकार द्वारा संस्था में औसत 140 आवासिनों की रहने की स्वीकृति हैं जिसके आलोक में 80 आवासिनों हेतु आवंटन प्राप्त होता है। अतः संस्था में रह रही आवासिनों के संख्या के आधार पर आवंटन देने हेतु अनुरोध किया गया है।

(8) ड्राम - संस्था के दक्षिण तरफ दिवाल के सटे ड्रम एवं अन्य दिवाल के पास ड्रम को संबंधित विभाग द्वारा हटवा दिया गया है।

पत्रांक 117

प्रेषक- अधीक्षिका
राजकीय उत्तर रक्षा गृह
गायघाट, पटना 7

सेवा में

निदेशक
समाज कल्याण
बिहार, पटना

पटना, दिनांक 01 अगस्त 03

विषय- राजकीय उत्तर रक्षा गृह, गायघाट पटना में स्वीकृत पद के विरुद्ध मैट्रन का पदस्थापन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर अनुरोध पूर्वक कहना है कि राजकीय उत्तर रक्षा गृह, गायघाट पटना 7 में सरकार द्वारा दो मैट्रन का पद स्वीकृत है। वर्तमान में मैट्रन का दोनों पद रिक्त है जिसके कारण आवासीनों के देखरेख में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जबकि इस समय आवासीनों की संख्या 185 के लगभग है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस संस्था में अविलंब दो महिला नियमित मैट्रन पदस्थापित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

1/8/03

अधीक्षिका
राजकीय उत्तर रक्षा गृह
गायघाट, पटना 7

पत्रांक 100

प्रेषक - अधीक्षिका
राजकीय उत्तर रक्षा गृह
आलमगंज, पटना 7

सेवा में

असैनिक शल्य चिकित्सक एवं
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
पटना

पटना, दिनांक0/ जनवरी03

विषय - राजकीय उत्तर रक्षा गृह, आलमगंज पटना 7 में महिला चिकित्सा पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अनुरोध पूर्वक कहना है कि आपके पत्रांक 6436 दिनांक 5.8.2002 के आदेशानुसार गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल पटना सिटी की महिला चिकित्सक डा० श्रीमती कविता कुमारी रजनीश को इस गृह की बीमार आवासीनों की चिकित्सा हेतु प्रतिनियुक्त किया गया था उक्त आदेश के आलोक में डा० श्रीमती कविता कुमारी रजनीश माह अक्टूबर 02 से ही इस गृह में नहीं आ रही है। वर्तमान में इस गृह में आवासीनों की संख्या 168 के लगभग है जिसमें महिला के साथ साथ बच्चे भी रहते हैं। महिला चिकित्सा पदाधिकारी के अभाव में इस गृह की आवासीनों की समुचित इलाज में काफी कठिनाई हो रही है। अवस्थान का समुचित इलाज नहीं होने के कारण बीमार आवासीनों की संख्या बढ़ गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि एक महिला चिकित्सा पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति अविलम्ब करने की कृपा की जाय ताकि इस गृह की आवासीनों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जा सके।

विश्वासभाजन

अधीक्षिका
राजकीय उत्तर रक्षा गृह
आलमगंज, पटना 7

ज्ञापांक 120 दिनांक 11/1/03

प्रतिलिपि - निदेशक, समाज कल्याण बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में अपने स्तर से भी कारवाई करने की कृपा करेंगे।

अधीक्षिका
राजकीय उत्तर रक्षा गृह
आलमगंज, पटना 7

10

पत्रांक 108

प्रेषक- अधीक्षक
राजकीय उत्तर रक्षा गृह
आसाराम पटना।

सेवा में

[illegible] आरक्षी अधीक्षक
पटना।

पटना, दिनांक 25 जुलाई 2003

विषय- राजकीय उत्तर रक्षा गृह पटना, में [illegible] महिला सिपाही प्रतिनियुक्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि [illegible] पटना द्वारा [illegible] के आदेश में राजकीय उत्तर रक्षा गृह आसाराम पटना की आवासियों की [illegible] करने [illegible] तथा [illegible] कार्यों की [illegible] करने हेतु [illegible] आरक्षी की प्रतिनियुक्ति पूर्व में की गई थी। [illegible] महिला सिपाही [illegible] आरक्षी सं० 608 प्रतिनियुक्त [illegible] आवासियों के बीच एक महिला सिपाही [illegible] आरक्षी सं० 608 जो प्रतिनियुक्त हैं [illegible] अनुपस्थित रहती हैं। इस कार्यालय के [illegible] दिनांक 23.4.03 द्वारा भी महिला सिपाही के प्रतिनियुक्ति हेतु [illegible] पत्र भेजा गया था।

अतः आपसे अनुरोध है कि [illegible] महिला आरक्षी सं० 608 की प्रतिनियुक्ति रद्द करते हुए [illegible] महिला आरक्षी की प्रतिनियुक्ति [illegible] आवासियों की [illegible] कराया जा सके।

विश्वासभाजन

अधीक्षक
राजकीय उत्तर रक्षा गृह
आसाराम पटना।

ज्ञापांक 108 दिनांक 25/7/03

प्रतिलिपि- निदेशक, समाज कल्याण बिहार पटना/ जिला पदाधिकारी पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षक
राजकीय उत्तर रक्षा गृह
आसाराम पटना।

11

पत्रांक 107

प्रेषक: [illegible]

राजकीय इण्टर [illegible]

[illegible]

सेवा में,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 25 [illegible] 2003

विषय: राजकीय इण्टर [illegible] को [illegible] प्रतिनियुक्त [illegible] और [illegible] प्रतिनियुक्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अनुरोध [illegible] कि [illegible] द्वारा [illegible] राजकीय इण्टर [illegible] को [illegible] प्रतिनियुक्ति [illegible] उक्त [illegible] 130 [illegible] को [illegible] प्रतिनियुक्ति हेतु [illegible] दिनांक 3.12.97 एवं [illegible] 101 दिनांक 1.1.98 [illegible] प्रतिनियुक्त [illegible] अनुसार [illegible] प्रतिनियुक्त हैं [illegible]

[illegible] अनुरोध है कि [illegible] प्रतिनियुक्त [illegible] और [illegible] किया जाय। [illegible]

[illegible]

विश्वासभाजन

[illegible] 25/7/03

ज्ञापांक 107 दिनांक 25/7/03

प्रतिलिपि: ~~[illegible]~~ [illegible] हेतु प्रेषित।

[illegible]

प्रपत्र I

समाज कल्याण पुरुष के उत्तर रक्षागृह योजना के अन्तर्गत संचालित राजकीय उत्तर रक्षागृह गायघाट, पटना से संबंधित वित्तीय वर्ष 2001-2002 का आय-व्यय विवरणी ।

जिला का नाम :- पटना ।

वित्तीय वर्ष :- 2001-2002

प्रतिवेदित माह का नाम:- मार्च 2002 ई0

गैर योजना मद के अन्तर्गत व्यय

मद का नाम	आवंटित राशि	निकासी की गई राशि	पूर्व माह तक व्यय की गई राशि	इस माह में व्यय की गई राशि	कुल व्यय की गई राशि	प्रत्यर्पित की गई राशि	लाभान्वितों की सं0
1	2	3	4	5	6	7	8
1. वेतन	10,87,110=00	8,83,560=00	8,02,949=00	80,611=00	8,83,560=00	2,03,550=00	131.
2. भत्ता	42,000=00	42,000=00	42,000=00	- - - -	42,000=00	- - - -	
3. यात्रा भत्ता	42,000=00	41,858=00	- - - -	41,858=00	41,858=00	142=00	
4. कार्यालय व्यय (मोटर गाड़ी)	91,000=00	91,000=00	30,000=00	61,000=00	91,000=00	- - - -	
5. आकस्मिक व्यय	30,000=00	30,000=00	10,000=00	20,000=00	30,000=00	- - - -	
6. दूरभाष	7,000=00	6583=00	5,000=00	1,583=00	6,583=00	417=00	
7. किराया (निगमकर)	8,000=00	8,000=00	8,000=00	- - - -	8,000=00	- - - -	
8. वर्दी	2,385=00	2,385=00	- - - -	2,385=00	2,385=00	- - - -	
9. विद्युत	1,95,000=00	1,95,000=00	93,600=00	1,01,400=00	1,95,000=00	- - - -	
10. भोजन एवं विशेष भोजन	4,20,700=00	4,20,587=00	55,943=00	3,64,644=00	4,20,587=00	113=00	
11. वस्त्र	35,000=00	35,000=00	- - - -	35,000=00	35,000=00	- - - -	
12. सामग्री आपूर्तियाँ	1,95,721=00	1,95,721=00	- - - -	1,95,721=00	1,95,721=00	- - - -	
कुल योग :-	21,55,916=00	19,51,694=00	10,47,492=00	9,04,202=00	19,51,694=00	2,04,222=00	

वित्तीय वर्ष 2002-03 (2002-2003) में प्राप्त आवंटन एवं निकासी तथा प्रत्यार्पित राशि का प्रतिवेदन

क्र.	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	31-3-2003 तक व्यय	शेष राशि	प्रत्यार्पित राशि	अभियुक्ति ।
1.	वेतन एवं भत्ते	12-02,644=00	11,02,937=00	99,707=00	99,707=00	इस कार्यालय के पत्रांक 43 दिनांक 26-3-03 के द्वारा राशि प्रत्यार्पित की गई है ।
2.	भोजन तथा विशेष भोजन	4,20,700=00	4,20,700=00	-----	----	
3.	वस्त्र	35,000=00	35,000=00	----	----	
4.	दवा	42,000=00	41,996=00	4=00	4=00	
5.	साबुन, तेल, सोडा	42,000=00	42,000=00	----	----	
6.	यात्रा व्यय	49,000=00	49,000=00	----	----	
7.	आकस्मिक व्यय	30,000=00	30,000=00	----	----	
8.	पुरस्कार	10,000=00	10,000=00	----	-----	
9.	विद्युत प्रभार	2,00,000=00	2,00,000=00	----	-----	
10.	निगम कर	10,000=00	10,000=00	----	----	
1.	वर्दी	3,000=00	3,000=00	----	----	
2.	सामग्री आपूर्तियाँ	3,21,300=00	3,21,300=00	----	-----	
	कुल योग :-	23,65,644=00	22,65,933=00	99,711=0	99,711=00	

वित्तीय वर्ष 03-04 में प्राप्त आवंटन / व्यय की स्थिति

क्रमांक	मद का नाम	प्राप्त आवंटन	दिनांक 04.11.2003 तक व्यय	व्यय के पश्चात शेष राशि
1.	वेतन एवं भत्ता	925,014=00	492315=00	432699=00
2.	भोजन	4,80,000=00	×	4,80,000=00
3.	विशेष भोजन	800=00	×	800=00
4.	वस्त्र	40,000=00	×	40000=00
5.	दवा	48000=00	38,711=00	9289=00
6.	साबुन, तेल आदि	48000=00	×	48,000=00
7.	यात्रा व्यय	30,000=00	30,000=00	NIL
8.	कार्यालय व्यय	25000=00	25,000=00	NIL
9.	दूरभाष	10,000=00	2601=00	7399=00
10.	विद्युत प्रभार	200000=00	×	200,000=00
11.	किराया एवं महसूल कर	10,000=00	×	10,000=00
12.	वर्दी	3000=00	×	5000=00
	कुल	18,19814=00	588627=00	1231187=00

अभियुक्ति — संस्था में विभाग द्वारा 140 आवासीयों हेतु पद स्वीकृत है जिसके आलोक में 80 आवासीयों हेतु ही आवंटन प्राप्त होता है जिसके कारण संस्था चलाने में काफी आर्थिक कठिनाई हो रहा है जबकि संस्था में प्रायः 130-135 के आस-पास आवासीय रहती हैं। अतः अनुरोध है कि संस्था में 140 की आवासीयों के हेतु आवंटन देने की कृपा की जाय।

परिशिष्ट-3

संख्या-1 [illegible]-18/2003-[illegible]-844
बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग।
(समाज कल्याण निदेशालय)

प्रेषक

श्री ए० के० श्रीवास्तव,
निदेशक, समाज कल्याण।

सेवा में,

उप-सचिव,
बिहार विधान-सभा सचिवालय
(अनुसूचित जाति/जनजाति समिति)।

पटना-15, दिनांक 28 फरवरी, 2003 ई०

विषय—माननीय अनुसूचित जन-जाति/अनुसूचित जाति कल्याण समिति के द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर सामग्री के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में भवदीय द्वारा दिये गये निम्न बिन्दुओं का प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जा रही है।

1. उत्तर रक्षा गृह एवं बाल रक्षा गृह पटना एवं अन्य जगहों में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सजा खत्म होने के बाद भी इन गृहों में हैं।	विभागीय पत्रांक सं० 845, दिनांक 28 फरवरी, 2003 के द्वारा सूचना मांगी गई है। सूचना प्राप्त होते ही सामग्री उपलब्ध करायी जायगी।
2. ऐसे बच्चे जो सड़क पर पाये गये उनको घर भेजने के संबंध में क्या कार्रवाई की गयी, उनके संबंध में प्रतिवेदन दें। (कुल सं० के साथ)।	वही
3. उत्तर रक्षा गृह में सड़क पर भटकती हुई महिलाओं जो पाई गई उनकी काल अवधि [illegible] होने के बाद कितने को घर भेजा गया है। और कितने अभी तक पड़े हुए हैं। (संख्या के साथ)।	वही
4. प्रति व्यक्ति प्रति बच्चे एवं प्रति महिला पर खर्च करने का क्या दर है। समाज कल्याण द्वारा इस संबंध में प्रपत्र जो निर्गत किया गया है उस परिपत्र की प्रति प्रतिवेदन के साथ संलग्न करें।	विभागीय पत्रांक 1489, दिनांक 12 अगस्त, 1998 आवश्यक कार्यार्थ संलग्न है।
5. क्या स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन लोगों को छूट का प्रावधान है।	ऐसी व्यवस्था नहीं है।

कृपया समिति के समक्ष उपरोक्त उत्तर सामग्री उपलब्ध कराते हुए सम्पूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु कुछ समय की [illegible] करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
ए० के० श्रीवास्तव,
निदेशक, समाज कल्याण।

बिहार सरकार

कल्याण विभाग

पत्रांक-10/प्र.गृ.स्था0-1038/98- 1489

प्रेषक,

श्री ए.एन.पी.सिन्हा,

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार,बिहार

पो0.डिनु, राँची

पटना,दिनांक 12 अगस्त,98

विषयः- समाज कल्याण प्रक्षेत्र में किशोर न्याय अधिनियम 1986- के अन्तर्गत संचालित गृहों ,कमला नेहरु समाज सेवा संस्थान, विकलांग पुर्नवास प्रशिक्षण केन्द्र,नेत्रहीन विद्यालयों तथा मुक एवं बाधिर विद्यालय के आवासियों /छात्रों के भोजन,वस्त्र तथा दवा आदि की दर में वृद्धि।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि समाज कल्याण प्रक्षेत्र में किशोर न्याय अधिनियम 1986 के अन्तर्गत राज्य में संचालित सम्प्रेषण गृहों,कारागृहों, विशेष गृहों,उत्तर रक्षागृहों तथा स्वागत-सह-आश्रय केन्द्रों,कमला नेहरु समाज सेवा संस्थान, विकलांग पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्र,पटना नेत्रहीन विद्यालयों तथा मुक एवं बधिर विद्यालयों के आवासियों/छात्रों को मुफ्त भोजन,वस्त्र,नाश्ता,साबुन,सोडा,तेल, दवा तथा चिकित्सा की सुविधा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। सरकार के पत्रांक 1768 दिनांक 17.9.90 तथा पत्रांक 1784 दिनांक 4.7.96 द्वारा आवासियों/छात्रों को निम्नांकित दरों पर ये सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है।

क्रमांक	मद का नाम	स्वीकृत दर
1	2	3
(क)	भोजन	300/ रु0 प्रति आवासी/छात्र प्रतिमाह
(ख)	चाय एवं पावरोटी (जलपान)	30/-रु0 प्रति आवासी प्रति माह
(ग)	त्योहारों के अवसर पर विशेष भोजन	26 जनवरी,15अगस्त,होली,दशहरा, ईद एवं क्रिसमस के अवसर पर वर्ष में चार बार प्रति आवासी 5/-रु0 की दर से
(घ)	वस्त्र	500/-रु0 प्रति आवासी प्रति वर्ष उत्तर रक्षा गृह पटना(महिला) 400/- रु0 प्रति आवासी प्रति वर्ष उत्तर रक्षा गृह मुजफ्फरपुर 300/- रु0 प्रति आवासी प्रति वर्ष शेष गृहों एवं विद्यालयों के लिए
(ड़)	साबुन,तेल,सोडा इत्यादि	20/- रु0 प्रति आवासी प्रति माह
(च)	दवा	20/- रु0 प्रति आवासी प्रति माह

2. विगत दिनों में खाद्य सामग्रियों तथा अन्य सामग्रियों के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण आवासियों को भोजन सहित अन्य सामग्रियों को उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है।

3. विभिन्न सामग्रियों के मूल्यों में हुए अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए समीक्षोपरान्त सरकार ने निम्न प्रकार से दरों में वृद्धि का निर्णय लिया है।

क्रमांक	मद का नाम	वर्तमान मासिक दर	वर्द्धित दर (मासिक दर)
1	2	3	4
1.	भोजन(जलपान सहित)	330/- रु०	500 रु०
2.	विशेष भोजन	5/-रु० वर्ष में चार बार	26जनवरी,15अगस्त, होली,दशहरा ईद एवं क्रिसमस के अवसर पर वर्ष में चार बार प्रति आवासी 10/-रु० की दर से
3.	वस्त्र	300/-से 500/-वार्षिक	500/- वार्षिक
4.	तेल,साबुन और सोडा	20/- रु०	50/-रु०प्रति आवासी प्रतिमाह
5.	दवा	20/- रु०	50/-रु० प्रति आवासी प्रतिमाह

4. यह आदेश मंत्रिपरिषद की दिनांक 21.7.98 की बैठक में पारित प्रस्ताव के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

5. यह आदेश दिनांक 2.10.98 से प्रभावी होगा।

6. इस संबंध में निर्गत सभी आदेश यथा संशोधित समझे जायेंगे।

7. इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दे दी गयी है।

विश्वासभाजन,

(ए.एन.पी.सिन्हा)
सचिव कल्याण

ज्ञापांक --1483-- दिनांक 12/8/98

प्रतिलिपि विकास आयुक्त,बिहार/वित्त आयुक्त,बिहार/योजना विभाग,बिहार/वित्त विभाग,बिहार /सभी जिला पदा0/आयुक्त,सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उप निदेशक,कल्याण/सभी जिला कल्याण पदा0/योजना एवं बजट शाखा कल्याण विभाग/क्षेत्रीय विकास आयुक्त राँची/आदिवासी कल्याण आयुक्त राँची/सभी गृहों की अधीक्षक/उपाधीक्षक /प्रभारी कल्याण नेत्रहीन समाज कल्याण शोध संस्थान, पटना/प्रधान अध्यापक/प्रभारी प्रधान अध्यापक/ राजकीय नेत्रहीन विद्यालय एवं मूक बधिर विद्यालय/संबंधित कोषागार पदा0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव कल्याण

राजकीय उत्तर रक्षा गृह, गायघाट, पटना-7

मूंगी बहरी अवासीनों की सूची

क्रमांक	कितने आवासीन रह रही है कि संख्या।	संस्था में प्रवेश की तिथि।	किस सजा में रह रही है	कोई ऐसी अवासीन भी है जिसकी सजा समाप्त हो चुका है फिर भी वे संस्था में रह रही है अगर है तो उसकी क्या स्थिति है।	रहनेवाले [प्रति अवासीन पर क्या व्यय है।	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	सुकरी गूंगी	02-8-1991	उदवन्त नगर थाना कांड सं० 113।91 सुरक्षा हेतु	..	..	..
2	बेतिया वाली गूंगी	15-9-1996	बेतिया नगर थाना कांड सं० 342।96 धारा 366ए।37 भा० भा० द० वि० सुरक्षा हेतु।	..	..	..
3	गूंगी कुमारी	24-2-2001	मढ़ौरा थाना कांड सं० 422।22 जनवरी, 2001 सुरक्षा हेतु	..	..	..
4	अज्ञात गूंगी कुमारी	09-3-2001	स्वयं मु० थाना कांड सं० 70।2001 सुरक्षा हेतु	..	..	..
5	देवघर वाली गूंगी	10-12-1993	डी० पी० 854।18 दिसम्बर, 1992 सुरक्षा हेतु	..	..	..
6	लम्बी गूंगी	15-2-1989	अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 177, दिनांक 31 जनवरी, 1989 सुरक्षा हेतु।	..	..	..
7	नीतू कुमारी	21-6-2002	मधुबनी विविध वाद संख्या 157।2002। सुरक्षा हेतु	..	..	..
8	गूंगी कुमारी लड़की, मुजफ्फरपुर।	09-9-2002	जैतपुर, ओ०पी० दैनिक प्रविष्टि सं० 106, दिनांक 6 सितम्बर 2002 वाद विविध सुरक्षा हेतु।	..	..	..
9	एक गूंगी लड़की	02-7-2003	पातेपुर सन्हा संख्या 555, दिनांक 29 जून, 2003 सुरक्षा हेतु	..	..	..

10	माया देवी गूंगी ..	12-10-1992	फुलवारी शरीफ पी० एस० एस० डी० ई० नं० 315, दिनांक 10 अक्टूबर, 1992 सुरक्षा हेतु।	..	..	..
11	गोरी गूंगी ..	09-1-1993	जक्कनपुर थाना सं० 2202; दिनांक 8 जनवरी, 1993 सुरक्षा हेतु।	..	..	..
12	गूंगी घटवाली ..	05-5-1997	सचिवालय पी०एस०डी०ई० सं० 122, दिनांक 4 मई, 1997 सुरक्षा हेतु।	..	..	..
13	गूंगी बहरी बच्ची ..	24-1-2003	केस नं० 34/03 अनुमंडल दण्डाधिकारी, पटना सदर, सुरक्षा हेतु।	..	..	..
14	गूंगी बहरी युवती बबती	26-7-2003	425 (एम)/03 अनुमंडल दंडाधिकारी, पटना सदर, सुरक्षा हेतु।	..	..	..
15	माया कुट्टी गूंगी ..	06-10-1998	चौक थाना केश सं०नं० 178/88, सुरक्षा हेतु ..	..	..	..
16	एक अज्ञात गूंगी लड़की सीतामढ़ी।	27-8-2001	थाना डुमरा सन्हा सं० 544, दिनांक 23 अगस्त, 2001, सुरक्षा हेतु।	..	..	..
17	पीड़िता गूंगी , सीतामढ़ी	15-8-2002	सुरसण्ड थाना कांड सं० 67/02, सुरक्षा हेतु ..	..	..	..
18	सजनी गूंगी ..	17-3-1993	रोहतास थाना कांड सं० 142/93; 16 मार्च, 1993 सुरक्षा हेतु।	..	..	..
19	सपना गूंगी ..	24-7-1993	सासाराम थाना कांड सन्हा सं० 57/122 जुलाई, 1993, सुरक्षा हेतु।	..	..	..
20	गीता गूंगी ..	19-3-1994	साहेबगंज थाना कांड सं० 25/94, धारा 364/376/342 सुरक्षा हेतु।	..	..	..
21	सांवली गूंगी ..	22-8-1998	वारसलीगंज 98/98 जिला आश्रय-सह-स्वागत केन्द्र, गया से स्थानान्तरित, सुरक्षा हेतु।	..	..	..
22	महिला गूंगी ..	14-9-1998	विविध केश नं० 2982/95, सुरक्षा हेतु ..	..	..	..

राजकीय उत्तर रक्षा गृह, गायघाट, पटना-7 .. ..

निराश्रित/उपेक्षित प्रवासीनों की सूची—

1	2	3	4	5	6	7
23	रंजू कुमारी ..	16-1-1998	बेगूसराय से स्थानान्तरित, सुरक्षा हेतु ..	..	..	..
24	सरिता कुमारी ..	4-10-2001	लहेरी थाना सन्हा 284, दिनांक 2 अक्टूबर, 2001 सुरक्षा हेतु।	..	..	..
25	मीना कुमारी ..	3-10-2000	देवघर से स्थानान्तरित, सुरक्षा हेतु	..	..	..
26	रेखा मोदी ..	14-12-1998	लोहना सन्हा केस नं० 117189, सुरक्षा हेतु ..	..	..	..
27	नीता कुमारी नं० 2 ..	6-2-1997	देवघर से स्थानान्तरित, सुरक्षा हेतु	..	..	..
28	पिंकी कुमारी ..	8-4-1997	बालगृह, देवघर से स्थानान्तरित, सुरक्षा हेतु ..	..	..	..
29	अर्चना कुमारी ..	19-6-2000	देवघर से स्थानान्तरित, सुरक्षा हेतु	..	..	..
30	रज़िया खातून ..	19-8-2001	बालगृह, देवघर से स्थानान्तरित, सुरक्षा हेतु ..	..	..	..
31	सीमा नगर	27 6-2000	बालगृह, देवघर से स्थानान्तरित, सुरक्षा हेतु	..	..	..
32	संगीता कुमारी ..	29-7-2000	रांची से स्थानान्तरित, सुरक्षा हेतु	..	..	..
33	लावारिस लड़की जूली मल्लिक।	26-11-2001	अनुमंडल दंडाधिकारी, हाजीपुर के ज्ञापांक 1850, दिनांक 26 नवम्बर, 2001, सुरक्षा हेतु।	..	..	..
34	सुचित्रा कुमारी ..	10-02 2001	बालगृह, देवघर से स्थानान्तरित, सुरक्षा हेतु ..	..	..	..
35	धनिता उर्फ नीतू ..	5-2-1999	जयपुर राज्य महिला सदन (राजस्थान) से स्थानान्तरित सुरक्षा हेतु।	..	..	..

उपेक्षित

36	इशरत खातून उर्फ सिश्री	26-7-1999	हिलसा थाना कांड सं० 262/97, धारा 376/34 भा०द०वि० सुरक्षा हेतु।	..	..	..
37	एक लावारिस लापता लड़की नगीना।	25-7-2002	रेल थाना सिउल, जी० आर० नं० 416/02, दिनांक 23 जुलाई, 2002, सुरक्षा हेतु।	..	..	..
38	मैनाई बर्वजारी ..	12-8-2002	मुम्बई रिमांड होम से स्थानान्तरित, सुरक्षा हेतु ..	..	..	..
39	बेबी अशोक वर्मा ..	17-4-2001	रिमाण्ड होम, मुम्बई से स्थानान्तरित, सुरक्षा हेतु ..	..	..	..
40	पूजाराम प्रसाद, पहमार	20-2-2002	रिमांड होम, मुम्बई से स्थानान्तरित, सुरक्षा हेतु ..	..	..	..
41	अनिता देवी जायसवाल	22-3-2002	जुवानाईल कल्याण बोर्ड, मुम्बई से स्थानान्तरित, सुरक्षा हेतु	..	..	..
42	फिरोजा मोहम्मद शेख	23-7-2003	जुवनईल कल्याण बोर्ड, मुम्बई से स्थानान्तरित, सुरक्षा हेतु	..	..	..
43	कविता मंधी ..	01-4-2003	दिल्ली रिमांड होम से स्थानान्तरित, सुरक्षा हेतु ..	..	..	..
44	मुन्नी देवी ..	12-3-1999	केस नं० 260(सी)/99 यू० एस०/145, 147, 137 रेलवे अधि०, सुरक्षा हेतु।	..	..	..
45	रश्मी	21-7-2001	जयपुर से स्थानान्तरित; सुरक्षा हेतु	..	..	..
46	लावारिस लड़की गायत्री	30-1-2003	पीरबहोर थाना सन्हा सं० 1245/03, सुरक्षा हेतु ..	..	..	..
47	आशा कुमारी ..	25-8-2001	वाद संख्या 400(2)/01, सुरक्षा हेतु	..	..	..
48	पंपी	12-9-2002	लिलुआ रिमांड होम, कलकत्ता से स्थानान्तरित, , सुरक्षा हेतु	..	..	..
49	प्रीति जगदीश अग्रवाल ..	15-3-2003	वाद संख्या 125/03; मुम्बई से स्थानान्तरित, सुरक्षा हेतु	..	..	..
50	उपेक्षित बालिका छुटकी	7-12-2002	वाद संख्या 73/02, सुरक्षा हेतु (दिल्ली से स्थानान्तरित)	..	..	..

1	2	3	4	5	6	7
51	सिया कुमारी देवी ..	2-2-2002	कर्नाटक, बंगलोर से स्थानान्तरित, केस नं० 13।2000-01 सुरक्षा हेतु।	..	..	..
52	अनिता	3-7-2001	जयपुर से स्थानान्तरित, सुरक्षा हेतु	..	..	..
53	अनिता की बेटी मीना ..	3-7-2001	जयपुर से स्थानान्तरित, सुरक्षा हेतु, पटना सदर कोर्ट	..	..	..
54	रबो	26-9-2000	वाद संख्या 1786(2)।2000, सुरक्षा हेतु	..	..	..
55	अन्जू	21-7-1001	जयपुर से स्थानान्तरित, सुरक्षा हेतु	..	..	..
56	शानवती ..	21-7-2001	जयपुर से स्थानान्तरित, सुरक्षा हेतु	..	..	..
57	राखी कुमारी ..	15-11-2001	लिलुआ रिमांड होम, कलकत्ता से स्थानान्तरित, सुरक्षा हेतु	..	..	..
58	कुमारी ममता ..	4-6-2002	जयपुर से स्थानान्तरित, सुरक्षा हेतु	..	..	..
59	कविता कुमारी ..	3-5-2003	मुसहरपुर डी० आर० नं० 28।03, सुरक्षा हेतु	..	..	..
	पीड़िता।अपहृता अवासीनों की सूची—					
60	गुलिया कुमारी ..	2-5-2002	कुसमोटा, (अररिया) थाना कांड सं० 10।02, सुरक्षा हेतु ..	..	..	..
61	शरजहां खातून ..	23-3-2003	सिकरहट्टा केस नं० के० डी० आर० नं० 207।03; दिनांक 23 मार्च, 2003, सुरक्षा हेतु।	..	..	..
62	पूनम कुमारी ..	25-6-2003	जगदीशपुर थाना कांड सं० 86।03, सुरक्षा हेतु	..	..	..
63	सुधा कुमारी उर्फ पूजा ..	4-10-2000	देवघर से स्थानान्तरित, सुरक्षा हेतु	..	..	..
64	रंजु कुमारी ..	01-12-2002	खुदाबन्दपुर थाना कांड सं० 6।02 (बेगुसराय), सुरक्षा हेतु	..	..	..

65	रजू कुमारी की बच्ची ..	27-12-2002	माँ के साथ खुदाबन्दपुर थाना कांड सं० 67/02 (बेगुसराय) सुरक्षा हेतु।		..	..	..
66	कविता कुमारी ..	2-4-2003	मन्सूरचक थाना कांड सं० 17/02(बेगुसराय), सुरक्षा हेतु		..	..	..
67	ममता देवी ..	2-4-2003	मन्सरचक थाना कांड सं० 17/02, बेगुसराय, सुरक्षा हेतु		..	..	..
68	ममता देवी की बच्ची ..	2-4-2003	माँ के साथ मंसरचक थाना कांड सं० 17/02, बेगुसराय सुरक्षा हेतु।		..	..	..
69	शमा प्रवीण उर्फ चन्दा ..	25-4-2003	मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बेगुसराय के आदेशानुसार, सुरक्षा हेतु।		..	..	..
70	कहकशा प्रवीण ..	25-4-2003	मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बेगुसराय के आदेशानुसार, सुरक्षा हेतु।		..	..	..
71	दरकशा प्रवीण ..	25-4-2003	मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बेगुसराय के आदेशानुसार, सुरक्षा हेतु।		..	..	..
72	विभा देवी ..	01-5-2003	तरवरी थाना केस नं० 55/02 (बेगुसराय), यू०एस०-363, 366(ए) आई० पी० सी०, सुरक्षा हेतु।		..	..	..
73	सुनैना देवी ..	30-5-2002	बेतिया थानाकांड संख्या 410/02, सुरक्षा हेतु	..	..	..	
74	प्रतिमा देवी ..	27-7-2003	बगहा थाना कांड सं० 104/03, सुरक्षा हेतु	..	..	..	..
75	सुनीता सिंह ..	19-7-2002	ब्रह्मपुर थाना कांड सं० 66/02, सुरक्षा हेतु	..	..	..	..
76	सुनीता सिंह की बच्ची ..	15-11-2002 (जन्म तिथि)	माँ के साथ सुरक्षा हेतु		..	..	..
77	ललिता कुमारी ..	16-11-2000	जगदीशपुर थाना कांड सं० 174/2000 यू०एस 366(ए) आई० पी० सी०, सुरक्षा हेतु।		..	..	..
78	अंजू कुमारी ..	7-4-2003	सनबेला थाना कांड सं० 33/02 यू०एस 304(B), 34, आई० पी० सी०, सुरक्षा हेतु।		..	..	..

1	2	3	4	5	6	7
79	खुशबू कुमारी ..	7-4-2003	सनबेला थाना कांड सं० 33।2002 यू एस, 304(8), 34 आई० पी० सी० सुरक्षा हेतु।	..	..	..
80	रुबी खातुन ..	25-4-2003	कहलगांव थाना कांड सं० 92।03, सुरक्षा हेतु यू.एस 366(ए), 134 आई० पी० सी०			
81	विभा कुमारी ...	17-5-2003	कहलगांव थाना कांड सं० 177।03 यू.एस 376 आई पी० सी० सुरक्षा हेतु।	..	..	..
82	पूजा कुमारी ..	8-7-2003	शाहकुंड थाना कांड सं० 76।03 यू एस० 366 आई० पी० सी० भागलपुर, सुरक्षा हेतु।	..	..	..
83	मीना कुमारी ..	20-7-2003	कहलगांव थाना कांड सं० 289।01 यू.एस० 366(ए) 34 आई० पी० सी०, सुरक्षा हेतु।	..	..	..
84	मीना कुमारी का लड़का	20-7-2003	मां के बच्ची सुरक्षा हेतु कहलगांव थाना कांड सं० 289।01 यू.एस 366(ए) 34 आई पी० सी सुरक्षा हेतु।	..	..	..
85	रेणु देवी ..	13-8-2003	जगदीशपुर थाना कांड सं० 129।03 यू.एस 366(ए) आई० पी० सी०, सुरक्षा हेतु (भागलपुर कोर्ट से)।	..	..	..
86	माजदा खातुन उर्फ भारती	5-4-2002	देवघर से स्थानान्तरित, सुरक्षा हेतु	..	..	..
87	फिरोजा खातुन ..	23-6-2002	गरखा थाना कांड सं० 33।02 (छपरा), सुरक्षा हेतु ..	..	..	..
88	फिरोजा खातुन की बच्ची	10-10-2002 (जन्म तिथि)	माँ के साथ गरखा थाना कांड सं० 33।02 (छपरा) सुरक्षा हेतु।	..	..	..
89	रिंकू कुमारी ..	7-3-2003	खानपुर थाना कांड सं० 203।02 यू.एस 666(ए) 34, आई० पी० सी सुरक्षा हेतु।	..	..	..
90	प्रियंका उर्फ डौली ..	14-3-2003	भगवानपुर बाजार, छपरा थाना कांड सं० 12।03 यू.एस 363, 366(ए) सुरक्षा हेतु।	..	..	..

91 गीत कुमारी	..	2-10-2002	अमनौर (छपरा) थाना कांड सं० 46।02, सुरक्षा हेतु ..	..	..	..
92 गुड़िया ..	..	8-1-2003	रिविलगंज (छपरा) थाना कांड सं० 34।02, सुरक्षा हेतु ..	..	..	..
93 रेणु कुमारी	..	28-6-2001	भगवानपुर बाजार (छपरा) थाना कांड सं० 84।2001, । धारा 363, 366 भा०दं०वि०, सुरक्षा हेतु।	..	..	..
94 विनिता कुमारी	..	22-5-2003	थाना मुफस्सिल (छपरा थाना कांड सं० 130।03 यू०एस 276, 366 (ए), 323, 349 आई०पी०सी० सुरक्षा हेतु।	..	..	..
95 शोभा कुमारी	..	29-5-2003	मांझी थाना कांड सं० 21।03, सुरक्षा हेतु ..	..	..	..
96 ज्योटी कुमारी	..	17-7-2003	तरैया थाना कांड सं० 51।03, यू०एस 366(ए) 34 आई० पी० एसी०, सुरक्षा हेतु।	..	..	..
97 अनिता कुमारी	..	31-7-2003	मढ़ौरा थाना कांड सं० 158।03, सुरक्षा हेतु ..	..	..	..
98 माधुरी कुमारी	..	7-6-2003	मसीढ़ाही थाना कांड सं० 68।03, सुरक्षा हेतु ..	..	..	..
99 मुन्नी देवी	..	8-3-2003	अनुमंडल दंडाधिकारी, दानापुर के आदेशानुसार, सुरक्षा हेतु	..	..	..
100 रीता देवी	..	28-8-2001	कोठी (गया) थाना कांड सं० 17।2001, सुरक्षा हेतु ..		..	..
101 रुपा कुमारी	..	3-5-2002	कोतवाली (गया) थाना कांड सं० 119।02, सुरक्षा हेतु	..	..	..
102 मौसमी	..	8-5-2002	कोतवाली (गया) थाना कांड सं० 124।02, सुरक्षा हेतु ..	..	..	..
103 मंजु कुमारी	..	18-12-2002	सिविल लाईन (गया) थाना कांड सं० 302।02 सुरक्षा हेतु	..	..	..
104 जुबैदा खातून	..	4-03-2003	बगौली (सिधवलिया) थाना कांड सं० 26।03 यू०एस 366, 366 (ए) आई० पी० सी०, सुरक्षा हेतु।	..	..	..
105 रीता देवी	..	14-1-2003	गोपाल गंज थाना काण्ड सं० 34।102, सुरक्षा हेतु	..	..	

1	2	3	4	5	6	7
106	रबी ..	18-7-2002	चण्डी थाना काण्ड सं० 191102, सुरक्षा हेतु	..	..	
107	बसंती कुमारी उर्फ किरण कुमारी।	26-12-2002	कराय थाना काण्ड सं० 392102, U.S 3231363136 6(A)। 34 I.P.C सुरक्षा हेतु (हिलसा)।	..	..	
108	प्रियंका मंडल उर्फ काजल	11-6-2001	महुआ थाना काण्ड सं० 93101 दिनांक 5-6-01 (हाजीपुर) U.S 366(A) 3761 491120(B) 342, I.P.C सुरक्षा हेतु।	..	..	
109	मंगोली मंडल उर्फ टुनटुन	11-6-2001	वही do सुरक्षा हेतु	..	..	
110	सुनीता कुमारी देवी ..	13-9-2002	जुरावनपुर थाना काण्ड सं० 16102 (हाजीपुर) सुरक्षा हेतु	..	..	
111	सुनीता कुमारी देवी की बच्ची	16-4-2003	जन्म के साथ (तिथि मां) वही	..	..	
112	रजिया सुल्तान उर्फ मुन्नी	2-5-2003	सराय थाना केस नं० 53103, (हाजीपुर), सुरक्षा हेतु	..	..	
113	किरण कुमारी ..	7-6-2003	राघोपुर थाना काण्ड सं० 32103, (हाजीपुर), सुरक्षा हेतु	..	..	
114	सविता कुमारी ..	9-6-2003.	सराय थाना काण्ड सं० 82103 (हाजीपुर), सुरक्षा हेतु	..	..	
115	रानी कुमारी ..	11-7-2003	वैशाली थाना काण्ड सं० 78103 (हाजीपुर), सुरक्षा हेतु	..	..	
116	नोभी महंती ..	22-8-2001	केस नं० 12101 U.S 366(A), 34 I.P.C (जहानाबाद) सुरक्षा हेतु।	..	..	
117	बिन्दु कुमारी ..	11-9-2002	करपी थाना काण्ड सं० 55102 (जहानाबाद), U.S 366(A), 120(B), 34 I.P.C सुरक्षा हेतु।	..	..	
118	रिंकु देवी ..	7-2-2002	घोसी थाना काण्ड सं० 15102 (जहानाबाद), U.S 366(A), I.P.C सुरक्षा हेतु।	..	..	

119	रशीदा खातून, उर्फ गोरी	25-12-2002	करपी थाना काण्ड सं० 80।02 (जहानाबाद); दिनांक 7-8-02 U.S 366 (A) 34 I.P.C सुरक्षा हेतु	..	..
120	रशीदा खातून उर्फ गोरी की बच्ची।	30-3-0303 (जन्मतिथि)।	मां के साथ वही सुरक्षा हेतु	..	..
121	अनवरी खातून उर्फ बन्नू	10-6-2003	काको थाना काण्ड सं० 96।03, यू० एस 363।366(ए) 34 आई० पी० सी० (जहानाबाद) सुरक्षा हेतु।	..	..
122	अनवरी खातून उर्फ बन्नू की बच्ची।	4-7-2003	(जन्म तिथि) मां के साथ तदैव	..	..
123	समतोला देवी उर्फ सुनीता देवी।	19-5-2002	मधेपुरा थाना काण्ड सं० 48।02 (मधुबनी) सुरक्षा हेतु	..	..
124	समतोला देवी उर्फ सुनीता देवी का बच्चा।	29-7-2002 (जन्मतिथि)	मां के साथ तदैव सुरक्षा हेतु	..	..
125	निरवत खातून उर्फ प्रवीण	17-6-2001	कदवा (कटिहार) थाना काण्ड सं० 29।01 यू एस 363।366(ए) 368।372।34 आई० पी० सी० सुरक्षा हेतु।	..	..
126	पूजा कुमारी साहा ..	31-5-2001	(जहानाबाद) केस नं० 112।01 यू एस 366(ए) 34आई० पी० सी० सुरक्षा हेतु।	..	..
127	रिंकि कुमारी ..	23-5-2003	फलका (कटिहार) थाना काण्ड सं० 32।01 यू० एस० 328।302।201 34 आई०पी०सी०एवं आई०पी०सी० 304 सुरक्षा हेतु।	..	..
128	गुं या कुमारी उर्फ सपना	24-10-2002	सुरंगढ़ा थाना काण्ड सं० 262।02, सुरक्षा हेतु	..	..
129	सावित्री देवी ..	12-12-2000	धनरुआ थाना काण्ड सं० 138।2000 यू०एस० 366(ए) 34 आई० पी० सी० सुरक्षा हेतु (मसौढ़ी)।	..	..
130	मधुमाला कुमारी ..	30-3-2003	मुफस्सील थाना काण्ड सं० 86।03 (मुंगेर) सुरक्षा हेतु	..	..
131	रानी मंडल ..	24-3-2001	जमालपुर थाना काण्ड सं० 36।01 सुरक्षा हेतु	..	..

1	2	3	4	5	6	7
132	विक्षिप्त लड़की अर्चना कुमारी।	1-11-2002	कुढ़नी सन्हा सं० 651 दिनांक 31-10-02 सुरक्षा हेतु		..	..
133	रीतू कुमारी ..	26-6-2003	धनरुआ थाना काण्ड सं० 1103, यू० एस० 366(ए) 34 आई०पी०सी० सुरक्षा हेतु (मसौढ़ी)।		..	..
134	रीतू कुमारी की बच्ची ..	26-6-2003	मां के साथ बच्चा तदैव सुरक्षा हेतु		..	..
135	रिंकू देवी ..	2-9-2002	आलमनगर रतवारा थाना केस नं० 65102 यू०एस० 3661494 भा०द०वि० सुरक्षा हेतु।	न्यायालय से मुक्त हुई है इनके अभिभावक को पत्र से जाने हेतु भेजा गया है।		..
136	रिंकू देवी की बेटी तिलो कु०	2-9-2002	मां के साथ तदैव	तदैव		..
137	संध्या कुमारी उर्फ राजो	18-4-2003	कोटवा थाना काण्ड सं० 11103 u/s336; 376I.P.C.सुरक्षा हेतु। (मोतीहारी)।		..	..
138	रेवती देवी ..	18-6-2003	कोटवा थाना काण्ड सं० 73103, सुरक्षा हेतु		..	..
139	प्रमिती कुमारी ..	6-7-2003	बोचहा थाना काण्ड सं० 80103, सुरक्षा हेतु u/s366(A) 34 I.P.C.		..	..
140	नेहा खातून ..	21-9-2002	अकबरपुर थाना काण्ड सं० 428102 (नवादा) सुरक्षा हेतु।		..	..
141	सोनी कुमारी ..	29-6-2003	नवादा थाना काण्ड सं० 108103 u/s 3641366(A) I.P.C. सुरक्षा हेतु।		..	..
142	अकबरी उर्फ मुमताज बेगम	31-8-2001	के० नगर P.S. 99101 (पूर्णियां) u/s 364A134 I.P.C.सुरक्षा हेतु।		..	..
143	बेबी कुमारी ..	31-7-2003	के हाट P.S.C se n0. 228103 (पूर्णियां) u/s 366(A) 120 (B) I.P.C सुरक्षा हेतु।		.!	..

144	नीलम कुमारी	..	21-8-2001 P.S. Cash no. 1078(2)।01 (सदर पटना कोर्ट) सुरक्षा हेतु।	..	..
145	श्वेता कुमम्	..	13-3-2003 गाँधी मैदान पटना थाना काण्ड सं० 66।03 u।s 363।366(A) I.P.C सुरक्षा हेतु।	..	..
146	कुमारी पूजा	..	17-12-2002 फुलवारी शरीफ थाना काण्ड सं० 530।02 u।s 379।411।34 I.P.C सुरक्षा हेतु।	..	..
147	संगीता कुमारी	..	28-5-2003 G.B.H 62।02 u।s 363।366(A) 34 I.P.C सुरक्षा हेतु	..	..
148	संगीता कुमारी का लड़का		28-5-2003 (माँ के साथ) तदैव सुरक्षा हेतु।	..	..
149	माया	..	7-6-2003 वाद सं० 322 (2) 03 (पटना सदर कोर्ट) सुरक्षा हेतु।	..	..
150	पिड़िता लड़की रीना कुमारी	..	15-7-2003 G.B.H 449।03, u।s 363।342।376।120(B) I.P.C. सुरक्षा हेतु।	..	..
151	जुही कुमारी	..	22-7-2003 P.W.R.P.S Case No. 69।03 us 363,366(A) 120(B) I.P.C सुरक्षा हेतु।	..	..
152	क्षिति कुमारी	..	24-7-03 G.B.H P.S.No. 426।03 u।s 363,366(A) I.P.C. सुरक्षा हेतु।	..	..
153	सुधा कुमारी उर्फ काजल कुमारी।		28-7-2003 गर्दनीबाग थाना काण्ड सं० 486।03 u।s 420।363 366(A) 120(B) I.P.C. सुरक्षा हेतु।	..	..
154	विभा कुमारी	..	29-7-2003 G.B.H. थाना काण्ड सं० 439।03 u।s 363।366।366(A) I.P.C. सुरक्षा हेतु।	..	.
155	सिमु कुमारी	..	5-6-2003 GRP/PAT 158।03 u/s 379 I.P.C. सुरक्षा हेतु		
156	सुनीता पाल	..	4-4-2003 अनुमंडल दंडा०, पटना सिटी P.S. Case no. 161।03 सुरक्षा हेतु	..	..
157	स्वाती मंडल	..	24-5-2003 जक्कनपुर थाना काण्ड सं० 75।23-5-2003 सुरक्षा हेतु	..	..
158	मानवती देवी	..		..	..

1	2	3	4	5	6	7
159	मानवती देवी की बच्ची माया।					
160	सकीला खातून ..			..	..	
161	पुष्पी खातून उर्फ शहजाना			..	..	
162	हुसना खातून ..			..	..	
163	बविता कुमारी					
164	पुनीता कुमारी ..			..	..	
165	माया दास ..			..	..	
166	बबली कुमारी ..			..	..	
167	आभा देवी ..	26-1-2003	हुमनचंक P,S. Case no. 207102, G.R. no. 2132162 (बिराम) सुरक्षा हेतु।	..	..	
168	रना कुमारी					
169	विभा कुमारी ..					
170	सुलताना खातून ..			..	..	
171	रुबीना खातून ..			..	..	
172	नाजनीन ..			..	..	
173	उपना कुमारी ..			..	..	

174	सोनी कुमारी ..	..	..
175	भारती कुमारी ..	..	..
176	सितारा देवी ..	..	..
177	सितारा देवी की बच्ची ..	..	..
178	सोनी कुमारी ..	..	..
179	मुखनी देवी ..	..	..
180	रबी देवी ..	..	..
181	पिंकि कुमारी ..	..	..
182	सुनीता कुमारी ..	..	..
183	रीता देवी ..	..	..
184	रेणु कुमारी ..	..	..
185	रना कुमारी ..	..	..
186	सुमन ..	..	..
187	सुनीता कुमारी की बच्ची	..	..
188	सीमा देवी ..	..	..
189	सविता कुमारी ..	..	..
190	गुड्डु कुमारी उर्फ गुड्डी कुमारी	..	..
191	सबीन अख्तर ..	..	..

1	2	3	4	5	6	7
192	दुली खातून ..			..	..	
193	सोनी कुमारी ..			..	..	
194	अमीना खातून ..			..	..	
195	खुशबू कुमारी ..			..	..	
196	प्रियंका कुमारी जहार ..			..	..	
197	पिकी कुमारी (देवी) ..			..	..	
198	संस्कृति देवी ..			..	..	
199	मीना कुमारी नं०-2 ..		घर भेजने की कार्रवाई की जा रही है।			

राजकीय उत्तर रक्षा गृह, गायघाट, पटना
विलीय वर्ष 2002-03 का आवंटन/व्यय की स्थिति

क्रमांक	मद का नाम	आवंटित राशि	व्यय की राशि	अभ्युक्ति
1	भोजन	4,20,000.00	4,20,000.00	
2	विशेष भोजन	700.00	700.00	
3	वस्त्र	35,000.00	35,000.00	
4	दवा	42,000.00	42,000.00	
5	साबुन, तेल आदि	42,000.00	42,000.00	
6	अतिरिक्त आवंटन प्राप्त 2002-03 में साम्ग्री और पूर्तियां	3,21,300.00	3,21,300.00	
	कुल योग	8,61,000.00	8,61,000.00	

विलीय वर्ष 2003-04 का स्वीकृत आवंटन/व्यय की स्थिति

क्रमांक	मद का नाम	स्वीकृत राशि	चार माह हेतु व्यय राशि	अभ्युक्ति
1	भोजन	4,80,000.00	शून्य	आपूर्तिकर्ता द्वारा अभिश्रव प्राप्त नहीं है।
2	विशेष भोजन	800.00	शून्य	
3	वस्त्र	40.0,00.00	शून्य	
4	दवा	48.000.00	15,992.00	
5	साबुन, तेल आदि	48,000.00	शून्य	
		6,16,800.00	15,992.00	

नोट—प्रवासीनों का स्वीकृत पद 140 है, परन्तु आवंटन 80 प्रवासीनों ही प्राप्त होता है जबकि वर्तमान में 199 प्रवासीन रह रही हैं।

आवासीनों का स्वीकृत बल-140 है, परन्तु 80 आवासीनों हेतु ही वित्तीय वर्ष 2003-04 में आवंटन स्वीकृत राशि दिया गया है। वर्तमान में संस्था में आवासीनों की संख्या 199 है (एक सौ निनानबे हैं)

आवासीनों पर व्यय की स्थिति

1. भोजन—500 रु० प्रति आवासीन प्रतिमाह
2. विशेष भोजन--10 रु० प्रति आवासी प्रति वर्ष
3. वस्त्र—500 रु० प्रति आवासी प्रति वर्ष
4. दवा--50 रु० प्रति आवासी प्रतिमाह
5. साबुन तेल, आदि—50 रु० प्रति आवासी प्रतिमाह

आवासीनों के दिये जाने वाले भोजन की स्थिति

नास्ता

1. चना, मूढ़ी या चूड़ा--100 ग्राम प्रति आवासीन सुबह नास्ता में चाय एक कप सप्ताह में एक दिन 100 ग्राम गुड़।
2. सुबह खाना—दाल, भात सब्जी
3. शाम में—एक पीस ब्रेड पावरोटी एवं दो केला
4. रात में—रोटी एवं सब्जी
5. माह में दो दिन मांस एवं मछली जो नहीं खाती है उसके लिये केवड़ा/खीर
6. माह में दो बार—हरा मिर्च एवं नींबू दो पीस 100gm.
7. विशेष भोजन—केवड़ा/खीर/फल

वस्त्र

लगभग साल में दो बार आवासीनों को वस्त्र दिया जाता है ।
साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज
समीज सलवार, दुपट्टा
फाक पेंट
चप्पल हवाई

राजकीय उत्तर रक्षा गृह, गायघाट, पटना-7

संस्था के कर्मचारियों की स्थिति

स्वीकृत पद		भरे गए	रिक्त	
1. अधीक्षिका-1	..	1	..	
2. उपाधीक्षिका-1	..	..	1	
3. लेखापाल-सह-भंडारपाल-1	..	..	1	
4. लिपिक-1 ..	..	1	..	समाज कल्याण निदेशालय में प्रतिनियुक्त हैं ।
5. शिक्षिका-3 ..	..	1	2	
6. मेट्रोन-2 ..	..	..	2	मेट्रोन के आभाव में कार्य में काफी कठिनाई होती है एवं आवासीनों की देखभाल समुचित रुप से नहीं हो पाता है ।
7. चालक 1 ..	..	1	..	
8. मेस सर्वेन्ट .. 2	..	2	..	
9. आदेशपाल रात्रिप्रहरी-3	..	1	2	
10. स्वीपर-2	..	1	1	
11. अंशकालीन चिकित्सक-1	..	..	1	
कुल पद 18		8	10	

आवंटन वित्तीय वर्ष 2003-04

मद का नाम			स्वीकृत राशि	चार माह हेतु आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1. वेतन एवं भत्ता मद ..	..	..	9,25,014	3,08,338	
2. यात्रा व्यय ..	..	..	30,000	10,000	
3. कार्यालय व्यय ..	..	..	25,000	चार माह हेतु आवंटन प्राप्त है ।	
4. दूरभाष ..	..	..	10,000	,,	
5. विद्युत प्रभार ..	..	..	2,00,000	,,	
6. किराया एवं महसूल कर	..	..	10,000	,,	
7. वर्दी ..	..	..	3000	,,	

(ह०) अस्पष्ट,
अधीक्षिका,
राजकीय उत्तर रक्षा गृह,गायघाट,
पटना-800007

राजकीय उत्तर रक्षा गृह,
गायघाट, पटना-7

दिनांक 29 अगस्त, 2003 को इस गृह में रह रही आवासीनों की सूची।

स्वीकृत बल	140
(1) गूंगी-बहरी	22
(2) निराश्रित	13
(3) उपेक्षित	25
(4) संरक्षाधीन	139
कुल	199

कुल 199 में से 5 आवासीन मानसिक विक्षिप्त है।

नोट—कुछ आवासिनें टी० बी० एवं गम्भीर बीमारी से ग्रस्त हैं जिनका इलाज चिकित्सक महोदय के परामर्शानुसार चल रहा है।

(ह०) अस्पष्ट,
अधीक्षिका,
राजकीय उत्तर रक्षा गृह,
गायघाट, पटना-7

सम्प्रेक्षण गृह, पटना

प्रति आवासी को प्रतिदिन दिये जाने वाले खाद्य सामग्री की विवरणी—

सुबह प्रति आवासी	दोपहर प्रति आवासी	शाम प्रति आवासी	रात्रि प्रति आवासी
1	2	3	4
(1) चूड़ा-100 ग्रा० (2) गुड़-50 ग्रा०	(1) चावल-250 ग्रा० (2) दाल-50 ग्रा० (3) हरी तरकारी75 ग्रा० (4) आलू-75 ग्रा० (5) सरसों तेल 7 ग्रा० (6) नमक-10 ग्रा० (7) मसाला-5 ग्रा० (8) कोयला-250 ग्रा० मांस—7 तारीख (100 ग्राम—14 तारीख (प्रति आवासी)—21 तारीख 28 तारीख	(1) चीनी-20 ग्रा० (2) चायपत्ती-2 ग्रा० (3) पारा बिस्कुट-1 पीस	(1) आंटा 250 ग्रा० (2) दाल 50 ग्रा० (3) हरी तरकारी 75 ग्रा० (4) आलू 75 ग्रा० (5) सरसों तेल 7 ग्रा० (6) नमक 10 ग्रा० (7) मसाला 5 ग्रा० (8) कोयला 250 ग्रा०

(ह०) अस्पष्ट,
जिला कल्याण पदाधिकारी,
गृह-अधीक्षक,
गृह, पटना-800001

के०जे०ऐक्ट अन्तर्गत संचालित सम्प्रेषण गृह-पटना का प्रतिवेदन।

क्रमांक	रिमाण्ड होम में कितने लोग रहते हैं।	वे कब से रह रहे हैं	किस सन में आये थे।	कोई ऐसा भी सदस्य है जिसकी सजा समाप्त हो गई है और रह रहे हैं।	अगर रह रहे हैं तो उसकी क्या स्थिति है	जिसकी सजा समाप्त हुई उसको घर भेजने की क्या व्यवस्था की गई है या नहीं।	प्रति आवासी क्या व्यय है इस संबंध में जो नियमावली का स्थान विभाग द्वारा बताई गई है।	स्वतंत्रता दिवस शुभ अवसर पर किसी को छोड़ा है या नहीं। कोई छूट दिया गया है या नहीं।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	175	विवरणी संलग्न।	सजा प्राप्त नहीं रहते हैं	शून्य	शून्य	शून्य	आवंटन आदेश की छाया प्रति संलग्न।	शून्य

(ह०) अस्पष्ट,
जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-अधीक्षक,
सम्प्रेषण गृह विभाग पटना 800001

37

परिशिष्ट-4

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग ।
(समाज कल्याण निदेशालय)

पत्रांक-10/प्र0मु0स्था0-15/2003स0क0-

प्रेषक,

श्री ए0के0श्रीवास्तव,
निदेशक, समाज कल्याण ।

सेवा में,

उप सचिव,
बिहार विधान सभा सचिवालय (अनुसूचित जाति/जनजाति समिति) ।

पटना-15, दिनांक अगस्त, 2003 ई0

विषय:- अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कल्याण समिति के द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर सामग्री के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में समिति द्वारा दिये गये निम्न बिन्दुओं का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा रहा है ।

1. उत्तर रक्षा गृह एवं बाल रक्षा गृह पटना एवं अन्य जगहों में ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनकी उम्र खत्म होने के बाद भी इन गृहों में हैं ।	विभागीय पत्रांक सं0- 845 दिनांक 28/8/03 के द्वारा सूचना मांगी गई है सूचना प्राप्त होते ही सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी ।
2. ऐसे बच्चे की उम्र पर पाये जो उनकी घर भेजने के संबंध में क्या कार्रवाई की गयी, उनके सूची में प्रतिवेदन दें (सूची सं0 के साथ)	नहीं
3. उत्तर रक्षा गृह में उम्र पर पहुंचती हुई महिलाओं की शादी नहीं उनकी काफी अवधि व्यतीत होने के बाद किनको घर भेजा गया है और किनको अभी तक पड़े हुए हैं। (सूची के साथ)	वही
4. प्रति व्यक्ति प्रति बच्चे एवं प्रति महिला पर खर्च करने का क्या दर है । समाज कल्याण द्वारा इस संबंध में प्रश्न को निर्णय लिया गया है उस पत्रिका की प्रति प्रतिवेदन के साथ संलग्न करें ।	विभागीय पत्रांक 1439 दिनांक 12.8.98 आवश्यक कार्यार्थ संलग्न है ।
5. क्या व्यवस्था विवाह के अवसर पर इन लोगों को छूट का प्रावधान है ।	ऐसी व्यवस्था नहीं है ।

सूचना समिति के समक्ष उपर्युक्त उत्तर सामग्री उपलब्ध कराते हुए सम्पूर्ण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु इस माह की मांग करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन
ह0/-
(ए0के0श्रीवास्तव)
निदेशक, समाज कल्याण ।

कृ0पृ0उ0

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग ।
(समाज कल्याण निदेशालय)

संख्या-10/प्र0मु0स्था0-13/2003स0क0-845

प्रेषक,

श्री ए0के0श्रीवास्तव,
निदेशक, समाज कल्याण ।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-
अधीक्षक, सम्प्रेक्षण गृह पटना/सम्प्रेक्षण गृह भागलपुर/सम्प्रेक्षण गृह छपरा/सम्प्रेक्षण गृह गया/सम्प्रेक्षण गृह दरभंगा/सम्प्रेक्षण गृह मुजफ्फरपुर/बाल गृह बेगूसराय/विशेष गृह बेतिया/विशेष गृह मुंगेर/विशेष गृह आरा/विशेष गृह पूर्णियाँ एवं उत्तर रक्षा गृह गाय घाट पटना ।

पटना-15, दिनांक— 28 अगस्त, 2003ई0

विषय:- अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण समिति के द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर सामग्री भेजने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण समिति के द्वारा निम्न बिन्दुओं पर प्रतिवेदन की अपेक्षा की गयी है ।

1. उत्तर रक्षा गृह एवं बाल गृह एवं अन्य गृहों में ऐसे व्यक्ति कौन है जिनकी सजा खत्म हो चुकी है (संख्या के साथ) एवं अबतक सजा खत्म होने के बाद भी इन गृहों में हैं ।

2. ऐसे बच्चे जो सड़क पर पाये गये है और उनको घर भेजने के संबंध में क्या कार्रवाई की गयी, उसके संबंध में प्रतिवेदन दें । (कुल संख्या के साथ)

3. उत्तर रक्षा गृह में सड़क पर भटकती हुई महिलाओं को पाई गयी उनकी कालावधि समाप्त होने के बाद कितने को घर भेजा गया है और कितने अभी तक पड़े हुए हैं । (संख्या के साथ)

4. क्या स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इनलोगों को भी छुट का प्रावधान है?

कृपया 24 घंटे के अन्दर प्रतिवेदन फैक्स नं0-0612-2211718 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करावें ।

विश्वासभाजन,

(ए0के0श्रीवास्तव)
निदेशक, समाज कल्याण ।

बि० स०मु० (एल० ए०) 142 – ओ०नी० एल० – 350 –

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2005